अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1. कुमारी संतोष पत्नी स्व. प्रकाश 2. दिनेश पुत्र स्व. प्रकाश (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कुमारी संतोष पत्नी स्व. प्रकाश) 3. हिमांशी पुत्री स्व. प्रकाश (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कुमारी संतोष पत्नी स्व. प्रकाश) 4. प्रवीण पुत्र स्व. कैलाश 5. शुभम पुत्र स्व. कैलाश 6. दुर्गा पुत्री स्व. कैलाश सभी जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासीगण खसरा संख्या 63 ग्राम बासनी बेन्दा, तहसील व जिला जोधपुर		1. भागीरथ पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम फींच, तहसील लूणी जिला जोधपुर 2. श्रीमती कमला पत्नी रामलाल जाति जाट (ताण्डी) निवासी महावीर नगर, महामन्दिर, तीसरी पोल के अन्दर जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर 3. कुका देवी पत्नी रामलाल जाति प्रजापत (कुम्हार) निवासी झालामण्ड चौराहा, न्यू पाली रोड, तहसील व जिला जोधपुर 4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर 5. पटवारी, बासनी बेन्दा, पटवार मण्डल नान्दडा कलां, तहसील व जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार जोधपुर दिनांक 24 जनवरी 2022 प्रकरण संख्या 19/2021 श्रीमती कमला बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित–

1. श्री एस.एन.राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलाण्ट्स की ओर से
2. श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो.संख्या 3 की ओर से
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 5 की ओर से
4. बकाया रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक : 10 नवम्बर, 2022

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 19/2021 श्रीमती कमला बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 24 जनवरी 2022 के खिलाफ अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 20 अप्रेल 2022 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ अपीलाण्ट्स की ओर से शपथपत्र सहित एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। एक अन्य प्रार्थनापत्र भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत मय शपथपत्र प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन भी किया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार जोधपुर के समक्ष श्रीमती कमला पत्नी रामलाल (प्रार्थिनी–रेस्पो. संख्या दो) ने एक प्रार्थनापत्र पेश कर जाहिर किया कि खसरा संख्या 63/4 रकबा 18 बीघा 02 बिस्वा वाके मौजा बासनी बेन्दा के खातेदारान कैलाश व प्रकाश पिसरान लछीराम जाति कुम्हार द्वारा उक्त भूमि बाबत एक आम–मुख्त्यारनामा हरकाराम पुत्र रामूराम के पक्ष में निष्पादित किया गया था। हरकाराम द्वारा

उक्त आम–मुख्त्यारनामा के आधार पर उक्त खसरा की भूमि अलग–अलग व्यक्तियों के हक में बेचान की गयी, जिसमें से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान हरकाराम द्वारा भागीरथ पुत्र भीखाराम के पक्ष में जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 17 अक्तूबर 2005 को किया गया। भागीरथ पुत्र भीखाराम से प्रार्थिया–रेस्पो. कमला ने उक्त 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्वयं द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 12 जनवरी 2006 को क्रय करना बताते हुए तदनुसार म्युटेशन की कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) के तहत प्रकरण संस्थित किया जाकर पटवारी हळका नांदडाकलां से जांच रिपोर्ट तलब की गयी और जरिये अपीलाधीन आदेश उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए बेचाननामों के आधार पर खसरा संख्या 63 रकबा 108 बीघा 06 बिस्वा में संतोष पत्नी प्रकाश, दिनेश पुत्र प्रकाश, हिमांशी पुत्री प्रकाश दोनों नाबालिग कु. वली माता संतोष, प्रवीन शुभम पिसरान कैलाश, दुर्गा पुत्री कैलाश के साथ कमला पत्नी रामलाल जाति जाट साकिन महावीर नगर जोधपुर रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के म्युटेशन की कार्यवाही कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये गये। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं एवं प्रकरण के तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स को पक्षकारान बनाये बिना एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना, किसी प्रकार की सार्वजनिक सूचना जारी किये बिना, राजस्व नियमावली के नियम 133 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) की कार्यवाही हेतु निर्धारित विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही, प्रार्थनापत्र में चाहे गये अनुतोष से बाहर जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो क्षेत्राधिकारविहीन एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. संख्या दो द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र एक दीर्घावधि के बाद दिनांक 18 अक्तूबर 2021 को पेश किया गया है जिसमें वादग्रस्त आराजी बाबत न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु राजस्व वाद संख्या 109/2010 श्रीमती कमला बनाम कैलाश इत्यादि विचाराधीन होने के तथ्य को छिपाया गया है। आलौच्य प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत किये जाने के समय उक्त वाद विचाराधीन चल रहा था जिसमें आगामी तारीख पेशी 17 फरवरी 2022 मुकर्रर थी एवं वादग्रस्त आराजी बाबत मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश प्रभावी था (जिसका उल्लेख पटवारी हळका द्वारा आलौच्य प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा तलब किये जाने पर प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 10 जनवरी 2022 में किया गया है), मगर दिनांक 21 जनवरी 2022 को उक्त वाद विड्रो कर लिया गया। इसके तुरन्त बाद ही दिनांक 24 जनवरी 2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से, प्रकरण के तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेख को नजरअदांज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थिया–रेस्पो. संख्या दो ने अपने प्रार्थनापत्र में कैलाश व प्रकाश के आम–मुख्त्यार की हैसियत से खसरा संख्या 63/4 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान 17 अक्तूबर 2005 को भागीरथ के पक्ष में किया जाना एवं केता भागीरथ द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 12 जनवरी 2006 को रेस्पो. संख्या दो कमला के पक्ष में किया जाना वर्णित किया गया है। चूंकि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा अपील/डिक्री/जोधपुर/091/2004 में पारित निर्णय दिनांक 23 जून 2006 के द्वारा म्युटेशन संख्या 89 निरस्त कर दिये जाने से खसरा संख्या 63, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 63/11 को शामिल कर खसरा संख्या 63 रकबा 108 बीघा 06 बिस्वा सोनाराम, छैलाराम, आत्माराम, गोबरराम पिसरान धूडाराम कुम्हार के नाम दर्ज किया किया गया। ऐसी स्थिति में न तो भूमि कमला के पक्ष में रही और न ही भागीरथ के पक्ष में रही। कोई आम–मुख्त्यारनामा भी हरकाराम या अन्य किसी के पक्ष में रहा। ऐसी स्थिति में तथाकथित आम–मुख्त्यारनामा के आधार पर निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेखों के जरिये केतागण को कोई अधिकार अर्जित नहीं होते है।

अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थिनी–रेस्पो. संख्या दो कमला ने आराजी खसरा संख्या 63/4 की 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि बाबत म्युटेशन की कार्यवाही का अनुतोष चाहा, जबकि अपीलाधीन आदेश खसरा संख्या 63 रकबा 108 बीघा 06 बिस्वा बाबत प्रार्थिनी–रेस्पो. संख्या दो कमला के पक्ष में म्युटेशन की कार्यवाही बाबत पारित किया गया है, इस प्रकार अपीलाधीन आदेश चाहे गये अनुतोष से बाहर जाकर पारित किया गया है जो क्षेत्राधिकारविहीन है। म्युटेशन संख्या 758 दिनांक 04 फरवरी 2020 के द्वारा कैलाश फौत होने पर खसरा संख्या 63 रकबा 108 बीघा 06 बिस्वा में प्रवीन, शुभम पिसरान कैलाश, दुर्गा पुत्री कैलाश जाति कुम्हार साकिन देह खातेदार दर्ज किया गया। जिसमें से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान इन्द्रचन्द, रामचन्द्र पिसरान सुखदेव राम फिडौदा के पक्ष में किया गया, जिन्होंने आगे दिनांक 20 सितम्बर 2021 को पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये मोहनलाल पुत्र बाबूलाल व उरमादेवी पत्नी मोहनलाल जाति विश्नोई निवासी फिटकासनी के पक्ष में उक्त 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान कर दिया, जिसके आधार पर म्युटेशन संख्या 835 मोहनलाल व उरमा के पक्ष में भरा गया।

अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने दृढतापूर्वक कथन किया कि अपीलाण्ट्स अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित एवं वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध पक्षकार है जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जिसकी समुचित समय में अपीलाण्ट्स को कोई जानकारी नहीं हो पायी। अतः अपीलाण्ट्स को आलौच्य अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुए अपील अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या तीन ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदारान कैलाश व प्रकाश पिसरान लछीराम जाति कुम्हार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि बाबत एक आम–मुख्त्यारनामा हरकाराम पुत्र रामूराम के पक्ष में निष्पादित किया गया था। हरकाराम

द्वारा उक्त आम–मुख्त्यारनामा के आधार पर उक्त खसरा की भूमि अलग–अलग व्यक्तियों के हक में बेचान की गयी, जिसमें से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान हरकाराम द्वारा भागीरथ पुत्र भीखाराम के पक्ष में जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 17 अक्तूबर 2005 को किया गया। भागीरथ पुत्र भीखाराम से प्रार्थिया–रेस्पो. कमला ने उक्त 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 12 जनवरी 2006 को क्रय की। किन्तु वादग्रस्त आराजी बाबत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील विचाराधीन होने के कारण समुचित समय में म्युटेशन की कार्यवाही नहीं हो पायी। अधिवक्ता–रेस्पो. ने यह भी जाहिर किया कि लेण्ड रिकार्ड रूल्स के नियम 133 के प्रावधानानुसार पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर म्युटेशन की कार्यवाही किये जाने की स्थिति में नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। पंजीबद्ध विक्रय विलेख किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं कराये गये है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित पारित किये गये है। प्रस्तुत अपील अधिकारविहीन, मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का कोई लिखित जबाब रेस्पो. की ओर से पेश नहीं किया गया है और न ही अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदारान स्व. प्रकाश एवं स्व. कैलाश के वारिसान होने के तथ्य का रेस्पो. की ओर से किसी ठोस साक्ष्य के आधार पर खण्डन किया गया है। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी में वर्णित तथ्यों एवं अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा इस संबंध में की गयी बहस पर विश्वास करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आलौच्य अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय में आलौच्य मामले में हुई कार्यवाही एवं अपीलाधीन आदेश बाबत समुचित समय में अपीलाण्ट्स को जानकारी नहीं होना स्वभाविक है। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आलौच्य अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रकरण के गुणावगुण के संदर्भ में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थिनी–रेस्पो. संख्या दो ने स्वयं द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2006 को पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर खसरा संख्या 63/4 में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि क्रय किया जाना जाहिर करते हुए तदनुसार म्युटेशन की कार्यवाही हेतु दिनांक 18 अक्तूबर 2021 को प्रार्थनापत्र पेश किया है। खरीद के बाद इतनी लम्बी अवधि तक म्युटेशन की कार्यवाही नहीं किये जाने बाबत कोई विश्वसनीय एवं संतोषप्रद कारण उक्त प्रार्थनापत्र में अंकित नहीं किया गया है। अपने प्रार्थनापत्र में प्रार्थिनी–रेस्पो. संख्या दो ने कैलाश व प्रकाश के आम–मुख्त्यार की हैसियत से खसरा संख्या 63/4 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान

अक्तूबर 2005 को भागीरथ के पक्ष में एवं भागीरथ द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 12 जनवरी 2006 को रेस्पो. संख्या दो कमला के पक्ष में किया जाना वर्णित किया गया है। साथ ही पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 17 अक्तूबर 2005 के आधार पर भागीरथ का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होना भी अंकित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 10 जनवरी 2022 में पटवारी हळका द्वारा जाहिर किया गया कि –

a) जमाबंदी संवत 2061–64 ग्राम बासनी बेन्दा के खाता संख्या 65 के अनुसार खसरा संख्या 63/4 रकबा 18 बीघा 02 बिस्वा प्रकाश कैलाश पिसरान आत्माराम उर्फ लछीराम जाति कुम्हार साकिन देह खातेदारान के नाम दर्ज होना, पूर्व में भरा गया म्युटेशन न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के अपील/डिक्री/जोधपुर/091/2004 में पारित निर्णय दिनांक 23 जून 2006 के द्वारा निरस्त करने से खसरा संख्या 63, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 63/11 को शामिल कर खसरा संख्या 63 रकबा 108 बीघा 06 बिस्वा सोनाराम, छैलाराम, आत्माराम, गोबरराम पिसरान धूडाराम कुम्हार के नाम दर्ज किया किया गया।

b) म्युटेशन संख्या 347 दिनांक 20 फरवरी 2009 विरासत/हकतर्क के द्वारा पूरा खसरा मांगीदेवी पत्नी सोनाराम भीकाराम रतनलाल बींजाराम पिसरान सोनाराम छेलाराम पुत्र धूडाराम कैलाश प्रकाश पिसरान लच्छीराम उर्फ आतमाराम सोनी पत्नी गोबरराम बाबुलाल विशनाराम बुधाराम पिसरान गोबरराम जाति कुम्हार साकिन देह दर्ज किया गया।

c) म्युटेशन संख्या 713 दिनांक 16 अक्तूबर 2018 के द्वारा खसरा संख्या 63 रकबा 108 बीघा 06 बिस्वा में प्रकाश पुत्र लच्छीराम उर्फ आतमराम फौत होने पर कुमारी संतोष पत्नी प्रकाश, दिनेश पुत्र प्रकाश (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कुमारी संतोष), हिमांशी पुत्री प्रकाश (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कुमारी संतोष) दर्ज किया गया।

d) म्युटेशन संख्या 758 दिनांक 04 फरवरी 2020 के द्वारा कैलाश फौत होने पर खसरा संख्या 63 रकबा 108 बीघा 06 बिस्वा में प्रदीन, शुभम पिसरान कैलाश, दुर्गा पुत्री 'कैलाश जाति कुम्हार साकिन देह खातेदार दर्ज किया गया।

e) कमला पत्नी रामलाल द्वारा पेश प्रार्थनापत्र व संलग्न दस्तावेजानुसार कैलाश व प्रकाश के आम–मुख्त्यार द्वारा बेचान दिनांक 17 अक्तूबर 2005 द्वारा भागीरथ पुत्र भीखाराम विश्नोई निवासी फींच तहसील लूणी के पक्ष में 2 बीघा 10 बिस्वा का बेचान निष्पादित कराया गया था जिसका वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं है।

f) भागीरथ पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई ने दिनांक 12 जनवरी 2006 को उक्त भूमि का बेचान कमला पत्नी रामलाल जाति जाट (ताण्डी) साकिन महावीर नगर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

महामंदिर तीसरी पोल के बाहर जोधपुर के पक्ष में 2 बीघा 10 बिस्वा का बेचान निष्पादित किया था जिसका भी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं है।

g) वर्तमान जमाबंदी में पेन्सिल नोट "न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के प्रकरण संख्या 76/10 दिनांक 14/12/2018 की पालना में तथा श्रीमान तहसीलदार साहब जोधपुर के आदेश कमांक भू.अ./2018/4797 दिनांक 18/12/18 की पालना में कैलाश के हिस्से 2–10 बीघा भूमि पर स्थगन दर्ज किया" अंकित है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र, पटवारी हळका की उक्त रिपोर्ट एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से यह विदित होता है कि–

1. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आलौच्य प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने के समय राजस्व रिकार्ड में खसरा संख्या 63/4 अस्तित्व में ही नहीं था, क्योंकि अपील/डिक्री/जोधपुर/091/2004 में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23 जून 2006 के अनुसरण में खसरा संख्या 63, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 63/11 को शामिल कर खसरा संख्या 63 रकबा 108 बीघा 06 बिस्वा सोनाराम, छैलाराम, आत्माराम, गोबरराम पिसरान धूडाराम कुम्हार के नाम दर्ज किया किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 23 जून 2006 के खिलाफ किसी समक्ष न्यायालय में कोई चाराजोई किया जाना उपलब्ध अभिलेख के आधार पर प्रकट नहीं होता है।
2. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आलौच्य प्रार्थनापत्र पेश किये जाने के समय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेद्याज्ञा हेतु राजस्व वाद संख्या 109/2010 श्रीमती कमला बनाम कैलाश इत्यादि विचाराधीन होने के तथ्य को भी प्रकट नहीं किया गया है जबकि उक्त वाद स्वयं प्रार्थिनी–रेस्पो. संख्या दो की ओर से प्रस्तुत किया गया है।
3. उक्त वाद में वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य पूर्व में कोई विधिवत औपचारिक विभाजन नहीं होना जाहिर किया गया है। प्रकाश एवं कैलाश के आम–मुख्त्यार की हैसियत से हरकाराम द्वारा भागीरथ पुत्र भीखाराम के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 17 अक्तूबर 2005 भी बेचान की गयी भूमि के आस–पडौस अंकित नहीं है और न ही उक्त बेचान के आधार पर राजस्व रिकार्ड में केता भागीरथ पुत्र भीखाराम का नाम दर्ज हुआ है। मगर भागीरथ पुत्र भीखाराम द्वारा कमला पत्नी रामलाल के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 12 जनवरी 2006 में बेचान की गयी भूमि के पडौस अंकित किये हुए है, विधिवत औपचारित विभाजन के अभाव में जिसका कोई आधार स्पष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में केता द्वारा सभी रिकार्डेड सहखातेदारान के खिलाफ सक्षम न्यायालय में विधिवत औपचारित विभाजन हेतु वाद की कार्यवाही के जरिये ही भौतिक कब्जा प्राप्त किया जा सकता है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

4. उक्त वाद की कार्यवाही के दौरान अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या 76/10 में पारित आदेश दिनांक 14/12/2018 तथा उसकी पालना में राजस्व रिकार्ड में किये गये अंकन को भी प्रकट नहीं किया गया है।

5. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थिनी–रेस्पो. संख्या दो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र तथ्यों को छिपाते हुए मिथ्या वर्णन के आधार पर प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। इतना ही नहीं, प्रार्थिनी–रेस्पो. संख्या 2 द्वारा खसरा संख्या 63/4 की 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि भागीरथ पुत्र भीखाराम से जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 12 जनवरी 2006 को क्रय करना जाहिर किया जा रहा है, मगर उक्त पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप म्युटेशन की कोई कार्यवाही समुचित समय में किया जाना उपलब्ध अभिलेख के आधार पर प्रकट नहीं होता है, अपितु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष दिनांक 09 जुलाई 2010 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत राजस्व वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद संख्या 109/2010 श्रीमती कमला बनाम कैलाश आदि विचाराधीन रहते हुए प्रार्थिनी–रेस्पो. संख्या दो द्वारा दिनांक 18 अक्तूबर 2021 को न्यायालय तहसीलदार जोधपुर के समक्ष म्युटेशन की कार्यवाही हेतु प्रार्थनापत्र (पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 12 जनवरी 2006 निष्पादित होने के 15 साल के बाद) वाद संबंधित तथ्यों को प्रकट किये बिना पेश किया गया, उसके बाद दिनांक 21 जनवरी 2022 को उक्त राजस्व वाद संख्या 109/2010 विड्रो कर लिया। जिसके तुरन्त बाद ही दिनांक 24 जनवरी 2022 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस कारण भी प्रार्थिनी–रेस्पो. न्यायालय के समक्ष "विद क्लीन हैण्ड्स" नहीं आने की धारणा को बल मिलता है।

6. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र खसरा संख्या 63/4 के संबंध में म्युटेशन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश खसरा संख्या 63 के संबंध में पारित किया गया है। जिसका कोई आधार एवं औचित्य अंकित नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, खसरा संख्या 63 बाबत राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित सहखातेदारान को न तो पक्षकार बनाया गया है और न ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं किये गये विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों एवं निर्धारित विधिक प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया जाना पाया जाता है, जो समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जनवरी 2022 खारिज किया जाता है। रेस्पो. सक्षम

न्यायालय के समक्ष विधिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार वाद की कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र रहेंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर